



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, FAX: 2227602 Help Line No 2385877)

E-mail : rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com Website : www.rlsa.gov.in

क्रमांक :- रालसा / स्टोर / एफ 9 / 2019 / 13

दिनांक:- 16/03/2019

सीमित निविदा


राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं सम्मेलन/सेमिनार कार्यक्रमों हेतु अधिकृत फर्मों से निम्नानुसार सामान क्रय हेतु बन्द लिफाफों में सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है:-

| क्रय की जाने वाली सामग्री | | |
|---------------------------|----------------------|--------|
| क्र.सं. | सामग्री का नाम | तादाद |
| 1. | बैग / फोल्डर | 200 नग |
| 2. | पैन ड्राईव 16 जी.बी. | 200 नग |
| 3. | स्पाईरल डायरी 30 पेज | 200 नग |
| 4. | पैन | 200 नग |

निविदा दिनांक 19.03.2019 को दोपहर 12.30 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा उसी तिथि को दोपहर 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो निविदा में अलग से अंकित करें।
2. सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय करने की संख्या कम ज्यादा करने का राज्य प्राधिकरण का अधिकार होगा।
4. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
5. सप्लाय संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
6. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
7. आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर कार्यालय में कार्यादेश जारी होने के 7 दिवस में सप्लाय करना होगा।
8. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।



निदेशक

दिनांक:- 16/3/19

क्रमांक:- रालसा / स्टोर / एफ 9 / 2019 / 6057 - 6060

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
3. AAO/ प्रोग्रामर कार्यालय हाजा।
4. संबंधित पत्रावली।

नोट:- उक्त सामान पर विभाग में उपलब्ध बजट की स्थिति के अनुसार, उक्त सामान 01/04/19 तक की सीमा में क्रय किया जाना है।



उप सचिव (स्टोर प्रभारी)